भारत सरकार /Government of India
वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,
सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

संख्या :पटसन(विपणन)/106/कच्चे जूट रजीस्ट्रेशन/15-II **दिनांक: 29-05-2025**

आदेश

पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6 (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने (मलय चंदन चक्रबर्ती, पटसन आयुक्त) दिनांक 18-06-2021, 29-06-2022, 07-07-2023 तथा 05-03-2025 के आदेश द्वारा ऐसे सभी डीलरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों इत्यादि जो एक पटसन वर्ष (जुलाई-जून) में 500 किलोग्राम या, इससे अधिक मात्रा में कच्चा जूट (कच्चा और पक्का गट्ठायुक्त या गट्ठा रहित कच्चा जूट) का व्यापार करते हों, को निर्देश दिए गए थे कि वे इस कार्यालय के पंजीकरण हेतु 'जूट स्मार्ट' पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

2. अब, नए तथा बचे हुए शेष डीलर/व्यापारी/एजेंसी/स्टॉकिस्ट इत्यादि को अवसर प्रदान करने के लिए, मैं एतद्वारा ऐसे सभी डीलर/व्यापारी/एजेंसी/स्टॉकिस्ट इत्यादि जो एक पटसन वर्ष (जुलाई-जून) में 500 किलोग्राम या इससे अधिक मात्रा में कच्चा जूट ((कच्चा और पक्का, गट्ठायुक्त या गट्ठारहित कच्चा जूट) का व्यापार करते हों, जिन्होंने अबतक पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है वे इस कार्यालय के वेबसाइट (jutecomm.gov.in) तथा 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। आवेदन इस कार्यालय के 'जूट स्मार्ट' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। आवेदन प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया इस कार्यालय के वेबसाइट jutecomm.gov.in में दी गई है।ऑनलाइन प्रस्तुति के उपरांत, हस्ताक्षरित/मुहर लगी हार्ड प्रति इस कार्यालय को डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रुप से इस कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत की जाए। कई आवेदन भेजना या पटसन आयुक्त कार्यालय में पहले से पंजीकृत होने के वाबजूद नया आवेदन भेजना सख्त मना है।

3. सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद, ब्यौरे सही पाए जाने पर संबंधित व्यपारियों/एजेंसियों/स्टाकिस्टों/डीलरों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता एक खास अवधि के लिए होगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कोई अपराध करने पर अथवा किसी भी रुप में आंकड़े/रिकार्ड प्रस्तुत न करने या झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने अथवा असहयोग करने पर यह पंजीकरण कभी भी रद्द किया जा सकता है।

4. यदि वे इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं या वे ऐसी सूचना प्रस्तुत करते हैं जो किसी खास सामग्री के संदर्भ में गलत पायी जाती हो, तो वे उपर्युक्त पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित, जिसके अंतर्गत कारावास और जुर्माना दोनों शामिल है, के अनुसार दंडित किए जाने के पात्र होंगे। साथ ही, कच्चे जूट के व्यापार की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सही सूचना न दिए जाने की स्थिति में, पटसन एव पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत उनके कच्चे जूट की छान-बीन की जाएगी तथा उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।

5. इस कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी व्यापारी/डीलर/एजेंसी या स्टॉकिस्ट आदि को कच्चा जूट के व्यापार/भंडारण की कोई अनुमति नहीं होगी।

इस आदेश का किसी भी रुप से उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित
मलय चंदन चक्रबर्ती
दिनांक 29.05.2025 17:40:39
पटसन आयुक्त

सेवा में,
कच्चा जूट के सभी व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट/दलाल आदि।
अध्यक्ष, जूट बेलर्स एसोसिएशन, 12 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700001. उनसे अनुरोध है कि वे कच्चा जूट के सभी डीलरों/व्यापारियों/ऐजेंसियों/स्टॉकिस्टों आदि को सूचित करें।